न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 17/2016 जिला सीकर ।

1. राजूराम पुत्र स्व.श्री कालूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम सांगलिया, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
2. प्रेमाराम पुत्र स्व.श्री कालूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम सांगलिया, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मंगलराम
2. रामपाल
3. जगदीश
4. शंकरलाल
5. महेश कुमार
6. श्रीमती पुसी
7. श्रीमती गीता

   पिसरान स्व.श्री हनुमान जाति बलाई, निवासी ग्राम सांगलिया, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
8. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर
दिनांक 11.10.2004

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री महादेव जाट ।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्यामबाबू पारीक ।

निर्णय

दिनांक –11.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 11.10.2004 के विरूद्ध मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 17.11.2015 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हनुमान ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के समक्ष एक दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व नाम शुद्धिकरण प्रस्तुत किया कि वादी व वादी के भाई स्व. मांगूराम की संयुक्त शामलाती भूमि खसरा नं. 480 रकबा 0.83 , 481 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 2

कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नं. 1090 रकबा 1.31, खसरा नम्बर 1091 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1092 रकबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1049 रकबा 3.75 हैक्टेयर, ख्सरा नम्बर 1109/1538 कुल किता 6 कुल रकबा 9.03 हैक्टेयर में से 1/2 भूमि वाके ग्राम सांगलिया तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है । वादी के भाई स्वर्गीय मांगूराम का दिनांक 25.11.2003 को देहान्त हो गया तो उसके बाद वादी ने उपरोक्त भूमियों का नामांतरकरण अपने नाम से करवाने के लिये पटवारी के पास जाकर अपनी कास्त की भूमियों बाबत बातचीत की ओर जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो पता चला कि वादी की भूमियों में कर्ताखानदान होने की वजह से अकेले मांगूराम का ही नाम चला आ रहा है और वो भी पूर्णतया सही न होकर खसरा नं. 481 व 480 में **मांगू पुत्र खेमा** व दूसरी भूमि खसरा नम्बर 1090 से 1094, 1109/1538 की जमाबन्दी में **मांगू पुत्र बोदू** दर्ज है जबकि वादी के भाई का सही नाम **मांगू पुत्र बदूराम** है और इसी अनुसार वादी व वादी के भाई का नाम उपरोक्त आराजियात में दर्ज होना चाहिये । इसलिये नाम दुरूस्ती हेतु वाद पेश कर डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि वाके ग्रम सांगलिया में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 1090 से 1094, 1109/1538 किता 6 कुल रकबा 9.03 हैक्टेयर में जो खातेदारी **भागू पुत्र बादू** के नाम दर्ज है, के स्थान पर शुद्ध नाम **मांगू पुत्र बदू राम** दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 480, 481 कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर जो **मांगू पुत्र खेमा** के नाम दर्ज है उसका सही नाम **मांगू पुत्र बदूराम** है, जिसे भी दुरूस्त फरमाया जावे एवं तत्पश्चात् मांगू की मृत्यु होने के कारण विरासत के आधार पर वादी के नाम नामांतरकरण खोलने के आदेश फरमाये जाने की प्रार्थना की थी ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हनुमान के उक्त वाद पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2004 पारित किया कि "जमाबंदी सम्वत् 2058 से 61 के अनुसार खसरा नं. 480 व 481 की खातेदारी मांगू पुत्र खेमा के नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 1090 से 1094 व 1109/1538 में 1/2 हिस्से की खातेदारी भागू पुत्र बोदू के नाम दर्ज है । जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2046 के अनुसार पुराने खसरा नं. 188 की खातेदारी मांगू, लादू पि0 बोदू के नाम दर्ज है । पुराने खसरा नं. 265 की खातेदारी मांगू पुत्र खेमा के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नं. से नये खसरा नं. बनना प्रमाणित है । सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार मांगू पुत्र खेमा व भागू पुत्र बोदू अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति हैं । मांगू के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नहीं है । उसका भाई हणमान ही उसका उत्तराधिकारी है । यही बात पटवारी हल्का सांगलिया की रिपोर्ट से भी प्रमाणित होती है । प्रस्तुत वाद वाद नहीं होकर धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थन पत्र है । इसलिये न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है । अतः वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सांगलिया की भूमि खसरा नं. 480 व 481 में **मांगू पुत्र बोदू** दुरूस्त करते हुए **हणमान पुत्र बोदूराम** के

नाम से विरासत का नामांतरकरण भरा जावे तथा भूमि खसरा नं.1090 से 1094 व 1109/1538 ग्राम सांगलिया में 1/2 हिस्से में दर्ज **भागू पुत्र बोदू** का नाम **मांगू पुत्र बोदू** दुरूस्त कर **हणमान पुत्र बोदू** के नाम से विरासत का नामांतरकरण भरा जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।''

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ दिनांक 11.10.2004 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्टस की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हनुमान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद राजस्व रेकार्ड के तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत किया था । भू प्रबन्ध के समय खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011-2026 में खाता संख्या 108 खसरा नम्बर 188 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा के काबिज काश्तकार मांग्या व लाद्या पिसरान बदू ,जाति बलाई दर्ज है तथा खसरा संख्या 113 खसरा नम्बर 265 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा मांगू पुत्र खेमा के नाम खातेदारी दर्ज है । खसरा नम्बर 188 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा में लाद्या की वल्दीयत गलत दर्ज है । लाद्या बदू का पुत्र ना होकर खेमा का पुत्र है । खेमा और बदू आपस में हक़ीकी भाई थे एवं दोनों मांगू के पुत्र थे । कृषि खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 265 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में मांगू की वल्दीयत बदू थी तथा बाद में प्रथम भू प्रबन्ध के पश्चात् सम्वत 2018 से 2021 की जमाबन्दी में उपरोक्त खसरा नम्बर 188 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी मांग्या व लाद्या पि. बदू के नाम दर्ज हुई तथा खसरा नम्बर 265 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी अपीलार्थी के दादा मांगू पुत्र खेमा के नाम दर्ज खतौती सम्वत 2011 के अनुसार ही वल्दियत गलत दर्ज रही । भू प्रबन्ध हाल के द्वारा साबिक खसरा नमबर 188 के नये खसरा नम्बर 1090 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1091 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1092 रबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1094 रकबा 3.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1109/1538 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 9.03 हक्टेयर तथा साबिक खसरा नम्बर 265 के हाल खसरा नम्बर 480 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.26 हैक्टेयर बने तथा इनकी खातेदारी भी मांग्या, लाद्या पिसरान बदू के नाम दर्ज थी तथा खसरा नम्बर 480, 481 की खातेदारी मांगू पुत्र खेमा के नाम दर्ज थी एवं लाद्या की मृत्यु के पश्चात् उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1090, 1091,, 1092, 1093, 1094 एवं 1109/1538 की 1/2 हिस्से की खातेदारी उसके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हो गयी तथा मांगू राम उर्फ मांग्या पुत्र बदू के एक पुत्र कालूराम था तथा कालूराम का स्वर्गवास मांगूराम उर्फ मांग्या के जीवनकाल में दिनांक 16.10.1981 को हो

गया एवं कालूराम के उत्तराधिकारी उसके दो पुत्र अपीलार्थीगण राजूराम व प्रेमाराम है । मांगूराम उर्फ मांग्या अपीलार्थी का दादा था तथा मांगूराम उर्फ मांग्या का स्वर्गवास दिनांक 25.11.2003 को हो जाने पर उसकी विरासत अपीलार्थी को प्राप्त होगी, परन्तु रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हनुमान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यों को छिपाते हुये एवं अपीलार्थी की जानकारी के बिना ही अपीलाधीन आदेश धोखाधडी से पारित करवा लिया । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हनुमान पुत्र बदूराम अपीलार्थी के दादा मांग्या उर्फ मांगू राम पुत्र बदू का हकीकी भाई था परन्तु उसकी उपरोक्त भूमियों में कोई हिस्सेदारी नहीं थी ना ही उसका भूमियों पर कोई कब्जा काश्त रहा । संवत 2011 से 2017 तक की गिरदावरियों में अपीलार्थीगण के दादा मांग्या उर्फ मांगू राम का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज चला आ रहा है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये तथा प्रस्तुत वाद को रिकार्ड दुरूस्ती एवं घोषणा का नही मानकर धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका यह भी कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जबकि अपीलान्ट्स हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति है जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील 11 वर्ष के विलम्ब से मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं है तथा शपथ पत्र भी गलत है । अपीलान्ट अक्टुबर 2015 में रेस्पोंडेन्ट्स से नहीं मिला न कभी कोई बात हुई , समस्त कहानी मनगढन्त गढी गई है । उनका कहना था कि अपीलान्ट यदि मृतक मांगू का पौत्र बनता है तो उसने भूमि अपने नाम अंकित क्यों नहीं करवाई । ऐसी स्थिति में अपील सरासर मियाद बाहर होना साबित है एवं मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) आर.आर.टी. 232 , 2015 (1)आर.आर.टी. 82 (राज.हाईकोर्ट), 2015 (1) आर.आर.टी. 435 (राज. हाईकोर्ट), 2017 (1)आर.आर.टी. (राज.हाईकोर्ट), 2018–18 आर.आर.टी. 72 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया । उनका कहना था कि अपीलान्ट अपने आपको कालूराम पुत्र मांगू के पुत्र होना अपील में अंकित किया है जबकि विवादित भूमि का मूल खातेदार खेमा था जिसके डालूराम , लादू राम पुत्रान एवं तुलसी पत्नी थी । डालूराम पुत्र खेमा के मोहन , रामचन्द्र, भगवाना, गजानन्द, श्रवण पुत्रान एवं लादूराम पुत्र खेमा के सुगनाराम, कालूराम, दीपाराम, दानाराम पुत्रान एवं मोहन के कुरडाराम, झमरी देवी वारिस, सुगनाराम पुत्र लादू के रामदयाल, भोलाराम वारिस, कालूराम पुत्र लादूराम के पेमाराम, राजूराम वारिस,

दीपाराम पुत्र लादूराम के गंगा देवी, दीनदयाल वारिस है । खेमाराम के फौत होने से पूर्व खेमाराम व तुलसी के संसर्ग से 2 पुत्र डालू राम व लादू राम पैदा हुये एवं खेमा राम के फौत होने पर तुलसी पत्नी खेमाराम ने बादू उर्फ बदू से विवाह कर लिया (चूडी पहन ली) और तुलसी व बोदू उर्फ बदू के संसर्ग से मांग राम , हनुमान पुत्रान एवं बिरदी पुत्री उत्पन्न हुये । हनुमान पुत्र बोदू के मंगलाराम, रामपाल, शंकर , जगदीश व महेश पुत्रान है । इस प्रकार मांगू व हनुमान खास मॉ जाये भाई थे जिनका खेमा की विरासत से कोई सम्बन्ध नहीं था । अपीलान्ट मांगू राम व खेमाराम को भाई बताते हैं एवं मांगूराम के एक पुत्र कालूराम होना तथा कालूराम के अपीलान्ट्स राजूराम व पेमाराम होना बताते हैं । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स के नाम नामांतरकरण संख्या 516 जो दिनांक 22.3.1990 को स्वीकृत हुआ है जिसमें लादू के शजरा खानदान के अनुसार लादू के सुगनाराम, कालूराम, दीपाराम, दानाराम पुत्रान होना एवं कालूराम पुत्र लादू के भागली, पेमाराम, राजूराम (अपीलान्ट) अंकित है एवं इसके अनुसार अपीलान्ट लादूराम के पुत्र कालूराम के पुत्रान है एवं मांगू राम कोई पुत्र कालूराम नहीं था । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स यदि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से पीडित व प्रभावित है तो वे नियमित दावा सक्षम न्यायालय में दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकते हैं । अपीलान्ट्स किसी प्रकार से अपीलाधीन आदेश से प्रभावित व पीडित नहीं होने से उन्हें अपील करने का कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोंडेन्ट्स ही विवादित भूमि पर काबिज काश्त है । उनका कहना था कि जमाबंदी सम्वत् 2058 से 61 के अनुसार खसरा नं. 480 व 481 की खातेदारी मांगू पुत्र खेमा के नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 1090 से 1094 व 1109/1538 में 1/2 हिस्से की खातेदारी भागू पुत्र बोदू के नाम दर्ज है । जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2046 के अनुसार पुराने खसरा नं. 188 की खातेदारी मांगू, लादू पि0 बोदू के नाम दर्ज है । पुराने खसरा नं. 265 की खातेदारी मांगू पुत्र खेमा के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नं. से नये खसरा नं. बनना प्रमाणित है । सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार मांगू पुत्र खेमा व भागू पुत्र बोदू अलग-अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति हैं । मांगू के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नहीं है । उसका भाई हणमान ही उसका उत्तराधिकारी है । यही बात पटवारी हल्का सांगलिया की रिपोर्ट से भी प्रमाणित होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हणमान द्वारा प्रस्तुत वाद को धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थन पत्र मानते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया गया कि ग्राम सांगलिया की भूमि खसरा नं. 480 व 481 में मांगू पुत्र बोदू दुरूस्त करते हुए हणमान पुत्र बोदूराम के नाम से विरासत का नामांतरकरण भरने तथा भूमि खसरा नं.1090 से 1094 व 1109/1538 ग्राम सांगलिया में 1/2 हिस्से में दर्ज भागू पुत्र बोदू का नाम मांगू पुत्र बोदू दुरूस्त कर हणमान पुत्र बोदू के नाम से विरासत का नामांतरकरण भरने तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये हैं । ऐसी स्थिति

प्रतिलिपि
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

में उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक होने से उसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हणमान का दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व नाम शुद्धिकरण को अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2004 से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया गया है कि ग्राम सांगलिया की भूमि खसरा नं. 480 व 481 में मांगू पुत्र बोदू दुरूस्त करते हुए हणमान पुत्र बोदूराम के नाम से विरासत का नामांतरकरण भरने तथा भूमि खसरा नं. 1090 से 1094 व 1109/1538 ग्राम सांगलिया में 1/2 हिस्से में दर्ज भागू पुत्र बोदू का नाम मांगू पुत्र बोदू दुरूस्त कर हणमान पुत्र बोदू के नाम से विरासत का नामांतरकरण भरने तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये हैं । दूसरी ओर अपीलान्ट्स के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलान्ट्स मांगू राम उर्फ मांग्या पुत्र बदू के एक पुत्र कालूराम होना तथा कालूराम का स्वर्गवास मांगूराम उर्फ मांग्या के जीवनकाल में दिनांक 16.10.1981 को होना एवं कालूराम के उत्तराधिकारी उसके दो पुत्र अपीलार्थीगण राजूराम व प्रेमाराम होना बताते हैं तथा मांगूराम उर्फ मांग्या अपीलार्थी का दादा होना तथा मांगूराम उर्फ मांग्या का स्वर्गवास दिनांक 25.11.2003 को हो जाने पर उसकी विरासत अपीलार्थी को प्राप्त होनी थी, परन्तु रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हनुमान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यों को छिपाते हुये एवं अपीलार्थी की जानकारी के बिना ही अपीलाधीन आदेश धोखाधडी से पारित करवा लिया । पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 ग्रम सांगलिया के अनुसार साबित खसरा नम्बर 188 के खातेदार मांग्या व लादिया पि. बदू व साबिक खसरा नम्बर 265 के खातेदार मांगू पुत्र खेमा दर्ज है । परिवार कार्ड की फोटो प्रति के अनुसार कालूराम पुत्र मांगूराम व कालूराम के पुत्रान राजू व प्रेमा अपीलान्ट अंकित है । इसी प्रकार अन्य दस्तावेजात पास बुक निर्माण सहकारी समिति, वारिस प्रमाण पत्र ग्रम पंचायत सांगलिया दिनांक 20.7.2016, मृत्यु प्रमाण पत्र , निर्वाचन क्षेत्र नामावली 1971, 1980 में कालूराम पुत्र मांगूराम अंकित है एवं राशन कार्ड तथा सरपंच ग्रम पंचायत के प्रमाण पत्र में अपीलान्ट्स राजू व प्रेमा पुत्रान कालूराम अंकित है । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के खातेदार मांगूराम का पुत्र कालूराम एवं कालूराम के पुत्र अपीलान्ट्स होने से प्रकरण में हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति है जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा हितबद्ध व प्रभावित व्यक्तियों को बिना पक्षकार बनाये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये उनके

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा न ही अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया । हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति होने से उनको सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 11.10.2004 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,

जयपुर